

नियम, अनुमंडल पदाधिकारी-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, दुमका

सी0सी0 नं0-121/13-14

परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका।

बनाम

शंकर मुर्मू, पिता-वामेश्वर मुर्मू, ग्राम-मकरापहाड़ी, थाना-शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका।

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश फलक	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
25.09.2023	<u>आदेश</u> यह नीलाम पत्र वाद लोक मांग अधिनियम 1914 के तहत परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका के द्वारा दाखिल अधियाचना पत्र के आधार पर कुल 6,75,000.00 (छः लाख पचहत्तर हजार) रू0 की वसूली हेतु आरंभ किया गया। देनदार को लोक मांग अधिनियम के तहत नोटिश किया गया। देनदार द्वारा लोक मांग अधिनियम की धारा-9 के तहत आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया जिसे अधियाची पदाधिकारी को बिन्दुवार प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। न्यायालय के पत्रांक-08 दिनांक-02.02.2021, पत्रांक-42 दिनांक-03.04.2021, 85 दिनांक-16.07.2021, 87 दिनांक-05.08.2021, 36 दिनांक-07.03.2022 एवं 55 दिनांक-02.04.2022 के द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद अधियाची पदाधिकारी, द्वारा प्रतिवेदन दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त योजना कार्य को मदनपुरी, समाज कल्याण सेवा संस्थान, जामताड़ा को आवंटित की गयी थी जो वाद सं0-113/13-14 अनिल कुमार सिन्हा (सचिव) पिता-सीता शरण सिन्हा एवं श्रीकान्त दुबे (समन्वयक) पिता-स्व0 रास बिहारी दुबे, जामताड़ा के विरुद्ध कुल 6514030.00 (पैसठ लाख चौदह हजार तीस) रू0 वसूली हेतु लंबित है। उक्त राशि को 11 विभिन्न वादो (114 से 124/13-14) में विभाजित कर अलग-अलग अधियाचना पत्र दाखिल की गयी है, जो नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। यह वाद 2013-14 से लंबित चला आ रहा है, एवं लम्बी अवधि से न्यायालय द्वारा मांगे गये प्रतिवेदन अधियाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराना लोक मांग अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधियाची पदाधिकारी को इस वाद में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रतिवेदन तथा अधियाची पदाधिकारी के अभिरुचि के आभाव में लोक मांग अधिनियम की धारा 53 (2) में निहित प्रावधानों के आलोक में इस वाद की कार्यवाही<u>समाप्त</u>.....किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमंडल पदाधिकारी-सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, दुमका।  अनुमंडल पदाधिकारी-सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी, दुमका।	